3852. *[Transferred to the 2lst December, 1992]*

हरियाणा में खाद्यान्नों के लिए भंडारण क्षमता

3853. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार खाद्यान्नों के लिए भंडारण क्षमता बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1990 की स्थिति के अनुसार हरियाणा में भंडारण क्षमता का जिलावार ब्यौरा क्या है और चालू वित्तीय वर्ष के लिए इससे संबंधित आंकड़े क्या हैं; और

(ग) सरकार भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए किन-किन स्थानों पर अत्याधुनिक गोदाम बनाने का विचार रखती है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई): (क) मैक्रो स्तर पर वर्तमान भण्डारण क्षमता को वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा जाता है। तथापि, भावी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा दूर-दराज, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में भण्डारण सुविधाएं मुहैया करने के लिए भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम की 8वीं योजनावधि के दौरान अपनी-अपनी क्षमताओं में कुछ वृद्धि करने की योजना है।

(ख) दो विवरण 1 और 2 संलग्न हैं जिनमें भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम के पास हरियाणा के विभिन्न जिलों में उपलब्ध क्षमताओं का ब्यौरा दिया गया है। **(नीचे देखिये)**

(ग) भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा अनन्तिम रूप से सूचित की गई अतिरिक्त क्षमता का राज्यवार ब्यौरा विवरण-3 में दिया गया है।

विवरण-I

हरियाणा में भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता का जिलेवार ब्यौरा

भंडारण क्षमता (हजार मीटरी टन में)

क्रम सं०	भारतीय खाद्य निगम के राजस्व जिले का नाम	1.1.1990 को	30.9.1992 को
1.	फरीदाबाद	96.11	94.42
2.	रेवाड़ी	—	5.00
3.	भिवानी	24.23	24.23
4.	हिसार	178.03	168.20
5.	सिरसा	118.22	118.21
6.	अम्बाला	94.98	83.81
7.	करनाल	317.37	316.10
8.	कैथल	159.74	154.67
9.	कुरुक्षेत्र	264.72	267.76
10.	जीन्द	161.35	161.35
11.	रोहतक	37.06	32.06
12.	सोनीपत	80.05	55.05
	कुल क्षमता	1531.86	1480.86

विवरण-2

हरियाणा में केन्द्रीय भण्डारण निगम के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता (खाद्यान्नों और अन्य जिन्सों, दोनों के लिए) का जिलेवार ब्यौरा

भण्डारण क्षमता (मीटरी टन में)

क्रम सं०	जिले का नाम	1.1.1990 को	30.9.1992 को
1.	करनाल	53556	71890
2.	सोनीपत	22224	20678
3.	जीन्द	6806	6000
4.	हिसार	47320	46418
5.	भिवानी	7500	7500
6.	गुड़गांव	23000	21000
7.	पानीपत	15864	15864
8.	यमुनानगर	5000	5000
9.	फरीदाबाद	21719	25725
10.	अम्बाला	3068	3068
11.	रोहतक	2474	1007
	कुल क्षमता	208531	224150

विवरण-3

भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा आठवीं योजना (1992—97) के दौरान अन्तिम रूप से प्रस्तावित भण्डारण निर्माण कार्यक्रम

(हजार मीटरी टन में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रतावित क्षमता	केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा प्रस्तावित क्षमता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अरुणाचल प्रदेश	5.00	—
2.	असम	5.00	54.60
3.	आंध्र प्रदेश	195.00	20.00
4.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	3.00
5.	बिहार	40.00	5.00
6.	दिल्ली	55.00	30.00
7.	गुजरात	50.00	75.00
8.	हिमाचल प्रदेश	13.34	15.00
9.	हरियाणा	—	35.00
10.	जम्मू और कश्मीर	20.00	5.00
11.	केरल	60.00	10.00
12.	कर्नाटक	115.00	67.00
13.	मणिपुर	10.00	5.00
14.	मेघालय	20.00	—
15.	मिजोरम	15.00	—
16.	मध्य प्रदेश	23.40	74.10
17.	महाराष्ट्र	60.00	153.00
18.	नागालैंड	10.00	5.00
19.	उड़ीसा	45.00	100.00
20.	पंजाब	—	20.00
21.	सिक्किम	—	3.00
22.	तमिलनाडु	40.00	33.00
23.	त्रिपुरा	17.92	10.00

(1)	(2)	(3)	(4)
24.	राजस्थान	57.91	35.00
25.	उत्तर प्रदेश	94.31	58.00
26.	पश्चिम बंगाल	78.34	180.00
	जोड़:	1030.22**	996.40 253.60*
			1250.00***

*केन्द्रों की पहचान की जानी है।

**(इसमें पिछला बचा कार्य और आठवीं योजना के दौरान कार्यक्रम को 10.0 लाख मीटरी टन तक सीमित किया जाना शामिल है)

***इनमें दोनों खाद्यान्नों और अन्य जिन्सों के लिए क्षमताएं शामिल हैं।

Export and Import of rice

3854. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether Government propose to export superior rice and import cheaper variety of rice;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) what is the quantity and value *vis-a-vis* the countries to whom Government intend to export rice and the countries from whom Government intend to import the rice?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI TARUN GOGOI): (a) and (b) The proposal to allow the export of superior rice and import of cheaper variety of rice as may be required is under consideration. This will enable the country to earn additional foreign exchange while maintaining desired availability of rice in the domestic market.

(c) Rice is exported mainly to U.K. and other countries in Europe, to Gulf countries and to Malaysia etc. The Minimum Export Price (MEP) fixed by Government for Basmati Rice is currently US $ 555/PMT and for Non-Basmati Rice US $ 275/PMT. Government has not fixed any quantitative ceiling for export of rice to various countries during 1992-93. Some rice is being imported from Vietnam in 1992-93. Other possible sources of import of rice in this region are Thailand, Burma, Indonesia and Pakistan.

कम्प्यूटरों की खरीद

3855. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि खाद्य मंत्रालय के अधीन उपक्रमों/बोर्डों और अन्य कार्यालयों द्वारा खरीदे गये कम्प्यूटर खराब पड़े हुए हैं और उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण न दिये जाने के कारण कम्प्यूटरों का उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने कम्प्यूटर खरीदे गये हैं और इस पर कितना धन खर्च किया गया है; और

(घ) कम्प्यूटरों के लिए कितने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई): (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है।